

पत्रांक- 15/जी 1-01/2013

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

एच0आर0 श्रीनिवास,
विशेष सचिव-सह-निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुल सचिव,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

पटना, दिनांक2014

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैरयोजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए राज्यादेश संख्या-125, दिनांक-20.03.2013 के द्वारा स्वीकृत राशि में से दिनांक 01.01.96 से 31.03.2000 तक के लिए यू0जी0सी0 वेतनान्तर भुगतान हेतु रूपये 9,71,66,256/- (नौ करोड़ एकहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ छप्पन) मात्र की विमुक्ति।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग के राज्यादेश संख्या-15/जी 1-01/2013-125 दिनांक-20.03.2013 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा घाटानुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 'वेतनादि' मद में रूपये 590,30,37,805/- (पाँच सौ नब्बे करोड़ तीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ पाँच) मात्र एवं 'वेतनादि के अलावा' मद में रूपये 64,43,17,574/- (चौसठ करोड़ तैंतालीस लाख सतरह हजार पाँच सौ चौहत्तर) मात्र अर्थात् कुल रूपये 654,73,55,379/- (छः सौ चौवन करोड़ तिहत्तर लाख पचपन हजार तीन सौ उनासी) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें दिनांक 01.01.96 से 31.03.2000 तक यू0जी0सी0 वेतनान्तर मद की राशि भी सम्मिलित है। विभागीय विमुक्ति आदेश संख्या-15/जी 1-01/2013-848, दिनांक 24.04.2013 के द्वारा कुल रूपये 543,37,75,986/- (पाँच सौ तैंतालीस करोड़ सैंतीस लाख पचहत्तर हजार नौ सौ छियासी) मात्र की विमुक्ति की गई है, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के लिए 77,51,94,019/- (सतहत्तर करोड़ एकावन लाख चौरानवे हजार उन्नीस रूपये) मात्र की राशि है। उक्त विमुक्त राशि में दिनांक 01.01.96 से 31.03.2000 तक यू0जी0सी0 वेतनान्तर मद में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के लिए स्वीकृत राशि रूपये 19,43,32,512/- (उन्नीस करोड़ तैंतालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ बारह) मात्र की 50% राशि 9,71,66,256/- (नौ करोड़ एकहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ छप्पन) मात्र भी सम्मिलित है।

2. कंडिका-1 में उल्लिखित विमुक्ति आदेश द्वारा यू0जी0सी0 वेतनान्तर मद में विमुक्त राशि 9,71,66,256/- (नौ करोड़ एकहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ छप्पन) मात्र का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः इस मद की अवशेष 50% राशि निम्नांकित शर्तों के अधीन विमुक्त की जा रही है :-

I. विमुक्त की गयी राशि से वेतनादि का भुगतान मात्र वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को ही किया जाये जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

II . तत्काल चतुर्थ चरण के नव अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/97 में दिनांक 12.10.04 को पारित आदेश के अनुपालन में केवल वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि एवं पेंशनादि का भुगतान किया जायेगा, जिनका नाम माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के प्रतिवेदन में S तथा R-1 के रूप में प्रतिवेदित है। R-2/NR के रूप में प्रतिवेदित कर्मी का स्वीकृत अनुदान राशि से भुगतान नहीं किया जायेगा।

III . विमुक्त की गयी राशि से जिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि की अनुमान्यता का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 की उपधारा (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

IV. विमुक्त की जा रही राशि से शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अन्य मदों में की गई कटौतियों को संबंधित कर्मियों के खाते में जमा किये जाने की कार्रवाई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। विश्वविद्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही अगले माह की देय राशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। अगर वर्णित सत्यापित विवरणी विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है तो उक्त स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की विमुक्ति सत्यापित विवरणी प्राप्त होने तक स्थगित की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत एवं विमुक्त राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

V. विमुक्त की जा रही राशि को महाविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर नियोक्ता के रूप में सुनिश्चित हो लिया जाये कि महाविद्यालय को विधिमान्य अनुमान्य राशि से अधिक राशि का भुगतान किसी अन्य कारणों से अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्थानान्तरण के कारण नहीं किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान में किसी भी कर्मी को उच्चस्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

VI. विभागीय राज्यादेश संख्या-15/जी 1-01/2013-125 दिनांक-20.03.2013 के द्वारा स्वीकृत राशि जो विश्वविद्यालय शिक्षा कोष नामक पी0एल0खाता में जमा है, की निकासी शीर्ष "8448-स्थानीय निधियों की जमा (व्यय)-110-शिक्षा निधियों-0001-शिक्षा निधियों- विपत्र कोड-एल 84480011-00001" से होगी। राशि की निकासी हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या-15/जी 1-01/2013-125 दिनांक-20.03.2013 द्वारा अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार को प्राधिकृत किया गया है जो

राशि की निकासी कर संबंधित विश्वविद्यालय को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

VII. विभागीय पत्र संख्या- 21/नि0(उ0शि0), दिनांक 18.02.2006 के आलोक में उपरोक्त विमुक्त की जा रही राशि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ECS के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय को भारतीय स्टेट बैंक में संधारित उनके खाता में स्थानान्तरित की जायेगी।

VIII. विमुक्त की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र बी0टी0सी0 फार्म 42A में अंकेक्षित लेखा के साथ (चार्टर एकांटेंट से अंकेक्षण प्रतिवेदन) विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् ही पुनः राशि विमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का भी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना होगा कि विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुमान्य वेतनादि का भुगतान किया गया है।


IX. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण करें।

विश्वासभाजन,

(एच0आर0 श्रीनिवास)
विशेष सचिव-सह-निदेशक (उ0शि0)

ज्ञापांक 15/जी 1-02/2014-969/ पटना,दिनांक.20/5/14/
प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आय-व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी-09/वित्त विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, बेली रोड, पटना/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ सभी उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/कुल सचिव एवं वित्त पदाधिकारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय/ प्रशाखा पदाधिकारी-5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग तथा सभी सहायक एवं लेखापाल तथा श्री गौरव कान्त, आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा (उ0शि0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

श्री गौरव कान्त को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें।


(एच0आर0 श्रीनिवास)
विशेष सचिव-सह-निदेशक (उ0शि0)

P.K.
20/5/14